न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—127/2023

प्रार्थीः—

शम्भूसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत निवासी सवाउ तहसील बाडमेर जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. कमलसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत निवास सवाउ तहसील बाडमेर जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री उत्तम बोस अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 30.08.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 373 रकबा 5.8760 हैक्टयर भूमि ग्राम दुर्गापुरा तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड,आधार कार्ड,पेनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस,बैंक डायरी में आदि में उसका वास्तविक नाम ''शम्भूसिंह पुत्र बागसिंह'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''सुमेरसिंह पुत्र बागसिंह ''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/2022 दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का रहवासी मकान महावीर नगर बाडमेर में आया हुआ है तथा सुमेरसिंह पुत्र बागसिंह एवं शम्भूसिंह पुत्र बा[illegible] ही व्यक्ति है।

प्रार्थी शम्भूसिंह ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वंय के व पीरसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी [illegible] के बयान कलमबद्ध करवाये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:39:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम " शम्भूसिंह पुत्र बागसिंह " है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम दुर्गापुरा तहसील समदडी के खसरा संख्या 373 रकबा 5.8760 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम "सुमेरसिंह पुत्र बागसिंह" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,ग्राम पंचायत सवाऊ पदमसिंह पंचायत समिति गिडा द्वारा जारी पहचान पत्र,ग्राम पंचायत पूनियों का तला पंचायत समिति गिडा द्वारा पहचान पत्र,पार्षद वार्ड संख्या 40 नगर परिषद बाडमरे द्वारा जारी पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "शम्भूसिंह पुत्र बागसिंह " की तकसीद होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "सुमेरसिंह पुत्र बागसिंह" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में सुमेरसिंह पुत्र बागसिंह एवं शम्भूसिंह पुत्र बागसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दुर्गापुरा तहसील समदडी के खसरा संख्या 373 रकबा 5.8760 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "सुमेरसिंह पुत्र बागसिंह" के स्थान पर "शम्भूसिंह पुत्र बागसिंह" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:39:02 IST
Reason: SelfAttested